अपीलीय प्राधिकरण, (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
029/2023(रा.अ.) (GCMS 2023/281)	12.10.2023	22.05.2024

अनवान

1. रफीक मोहम्मद शेख पिता शफी मोहम्मद जाति मुसलमान आयु 66 वर्ष निवासी 41 ए गांधीनगर सेक्टर नंबर 02, आकाशवाणी रोड चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. श्रीमती गुलशन शेख पत्नी रफीक मोहम्मद शेख जाति मुसलमान आयु 64 वर्ष निवासी 41 ए गांधीनगर सेक्टर नंबर 02, आकाशवाणी रोड चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलार्थीगण

बनाम

1. शफीक इकबाल शेख पिता रफीक मोहम्मद शेख जाति मुसलमान आयु 46 वर्ष निवासी 41 ए गांधीनगर सेक्टर नंबर 02, आकाशवाणी रोड चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. श्रीमती अजरा खानम पत्नी शफीक इकबाल शेख जाति मुसलमान आयु 37 वर्ष निवासी 41 ए गांधीनगर सेक्टर नंबर 02, आकाशवाणी रोड चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रत्यर्थीगण

उपस्थिति :– राकेश जैन — अपीलार्थीगण
बीएल वैष्णव — प्रत्यथीगण

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (उपखण्ड अधिकारी) चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 001/2022 में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2023 अंतर्गत धारा 4 व 5 अभिभावकों व वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण अपील अंतर्गत धारा 16 वरिष्ठ अभिभावकों व वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण अधिनियम 2007

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील अन्तर्गत धारा 16 (1) माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत विरूद्ध प्रत्यर्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी/प्रार्थीगण माता–पिता ने विपक्षीगण पुत्र एवं पुत्रवधु के विरूद्ध माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों

का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत अधिनियम एवं अधिकारिता के समक्ष अनुतोष के लिए प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ अधिकरण ने प्रार्थीगण/माता–पिता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस आधार पर खारिज किया कि प्रार्थीगण/माता–पिता द्वारा प्रत्यर्थी पुत्र, पुत्र वधु से किसी प्रकार का भरण–पोषण नहीं चाहे जाने व स्वयं अपना व अपनी पत्नी का भरण पोषण करने में सक्षम होने से माता–पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण प्रोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 एवं माता–पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण नियम 2010 के तहत पोषणीय नही है अतः प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथीत होकर अपीलार्थी/ प्रार्थीगण माता–पिता यह अपील, माननीय अपील अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है। अपीलार्थी/प्रार्थीगण/माता–पिता अधीनस्थ अधिकरण के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.08.2023 से व्यथीत होकर अपील प्रस्तुत है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यो के विपरित होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ अधिकरण ने अधिनियम को बनाने के विधायिका के प्रयोजन को नहीं समझ अधिनियम का मनमाना एंव एकतर्फा एवं संकीर्ण अर्थ लगाते हुए अपीलार्थी/प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र महज इस कारण खारिज कर दिया कि प्रार्थीगण/माता–पिता ने प्रार्थीगण पुत्र, पुत्रवधु से भरण पोषण हेतु राशि नहीं चाहे जाने एवं भरण पोषण करने में सक्षम है। विधायिका ने इस अधिनियम का गठन, माता–पिता एवं वरिष्ठ जन के हितों की रक्षार्थ जिसमे उनकी एवं उनकी संपति भी सम्मिलित है, के लिए किया है। इसी कारण अधिनियम के तहत बने नियम 2010 के अध्याय 5 में जिला मजिस्ट्रेट के कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख करते हुए नियम 20 (2) में कहा गया कि ''जिला मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य होगा– यह सुनिश्चित करना कि जिले के वरिष्ठ नागरिको का जीवन और संपत्ति सुरक्षित है और वे सुरक्षा और गरिमा के साथ अपना जीवन यापन करने में समर्थ है।'' अधिनियम 2007 के तहत बने नियम 2010 के अध्याय 6 मे नियम 21 से कहा गया है कि ''जिला पुलिस अधीक्षक या ऐसे शहरो की दशा में जहां पुलिस आयुक्त है, ऐसा पुलिस आयुक्त वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपति के संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी ऐसे मार्गदर्शक सिद्धान्तों और या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए समस्त कदम उठायेगा।'' इस प्रकार अधिनियम 2007 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण के अधिकार को ही सुनिश्चित नहीं करता बल्कि उनकी संपति की सुरक्षा के लिए भी निर्देशित करता है। अपीलार्थी प्रार्थीगण/माता–पिता ने अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के द्वारा अन्य अनुतोष के अलावा यह अनुतोष भी चाहा कि ''मकान 41 ए. गांधीनगर सेक्टर सं. 2 आकाशवाणी रोड चित्तौड़गढ़ को खाली कर प्रार्थीगण को सुपुर्द करे।'' उक्त अनुतोष के अलावा चाहे गये सभी अनुतोष अधिकरण में न केवल पोषणीय है बल्कि उक्त अनुतोष दिलाने की अधिकारिता अधिकरण को प्राप्त है। अपीलार्थी/प्रार्थीगण ने अपने पक्ष के समर्थन मे अधीनस्थ न्यायालय में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक विनिश्चिय डी बी Appeal Special (Writ) No. 920/2019 with D.B. Civil Misc. Stay Application to 9809/2019 in S.B. Civil Writ Petition No- 15845/2018 राकेश सोनी वगैराह बनाम श्रीमती प्रमिला सोनी निर्णय दिनांक 18.10.2019 को प्रस्तुत किया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने इस न्यायिक विनिश्चिय में अधीनस्थ अधिकरण द्वारा माता–पिता प्रार्थीगण को पुत्र विपक्षी से मकान का अधिपत्य दिलाने के अधिकरण के आदेश को एकल पीठ द्वारा पुष्ठि के

आदेश को सही माना। एकलपीठ ने पुत्र की ओर से प्रस्तुत रिट याचिका को खारिज की। इसके विरुद्ध पुत्र द्वारा D.B. पीठ में अपील प्रस्तुत की जिसक D.B. पीठ ने खारिज किया। अधीनस्थ अधिकरण ने प्रार्थीगण/माता पिता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में चाहे गये अनुतोष ''प्रार्थी के मकान नंबर 41 ए गांधीनगर सेक्टर नंबर 2 आकाशवाणी रोड चित्तौड़गढ़ को खाली कर सिपुर्द करने, प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न अनुसुची वर्णित बिजली बिल की राशि विपक्षी से दिलाने, प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न में वर्णित प्रार्थीगण द्वारा जमा कराई राशि दिलवाये जाने आदि अनुतोष को नहीं दिलाने तथा प्रार्थनापत्र को इस हेतु पोषणीयनहीं मानने मे अधीनस्थ अधिकरण ने विधि संबंधि एवं तथ्यात्मक भूल की है। जबकि उक्त चाहा गया अनुतोष अधिनियम 2007 के तहत पोषणीय है तथा अधीनस्था अधिकरण की अधिकारिता के अध्यधीन है। इस संबंध मे राजस्थान उच्च न्यायालय का यह न्यायिक विनिश्चिय 'श्रीमति रश्मि सक्सेना बनाम सुरेश प्रकार सक्सेना 2017 (3) डब्ल्यूएससी 313, मुम्बई उच्च न्यायालय का न्यायिक विनिश्चिय Dattatraya Shivaji Mane V/s Lilabai Shivaji Mane & Others writ petition No. 010611/2018 Decided on 20-06-2018 देहली उच्च न्यायालय का न्यायिक विनिश्चिय Sunny Paul v/s State of NCT of Delhi and ors. LPA 205/2017 decided on 03-10-2018 स्पष्ट है। इन सभी न्यायिक दृष्टान्तो मे प्रार्थीगण/अपीलार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र में चाहे मकान के अधिपत्य के अनुतोष को पोषणीय माना तथा इस अनुतोष को अधिकरण द्वारा दिलाया जाना अधिकरण का अधिकारिता का माना। उक्त न्यायिक विनिश्चियों में अधिनियम 2007 की धारा 23 की व्याख्या करते इसे विस्तृत रूप से देखा जाने के लिए कहा। धारा 23 में हस्तान्तरण से अर्थ कब्जे को भी माना है Transfer of Property को केवल सम्पत्ति के अन्तरण तक सीमित नही मानते हुए विपक्ष के कब्जे को भी सम्पति मानते हुए कब्जे को अवैध मानते हुए कब्जा दिलाने के आदेश को अधिनियम 2007 की परिधि माना है। अधीनस्थ न्यायालय ने अधिनियम 2007 एवं उसके तहत बने नियम 2010 की भावना को न समझ अधिनियम के तहत भरण पोषण की मांग को ही अधिनियम 2007 के तहत पोषणीय माना। अधिनियम 2007 के लिए अधीनस्थ न्यायालय की विधि के संबंध मे विवेचना कतई उचित नही है। अपीलार्थी के कथन की पुष्टि में न्यायिक दृष्टान्त एआईआर 2013 गुजरात 160 Jayant ram Vallabh das meswania ES Vallabhadad Gorindram Meswania पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का न्यायियक विनिश्चय जस्टीस शांति स्वरूप देवान बनाम यूनियन टेरीटोरी चण्डीगढ लेट पेरेन्ट अपील संख्या 1007/2013 निर्णय दिनांक 26.09.2013 एवं छत्तीसगढ उच्च न्यायालय के न्यायिक विनिश्चय नीरज बघेल बनाम कलेक्टर रायपुर रीट पीटिशन wp 227 No. 109/2021 निर्णय दिनांक 26.01.2023 आदि मे व्यक्त किये। उक्त न्यायिक विनिश्वियों के अलावा माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपीलार्थी/प्रार्थीगण द्वारा वाहे गये अनुतोष को पोषणीय माना तथा अधिकरण की अधिकारिता मे उक्त अनुतोष दिया जाना माना। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी/प्रार्थीगण माता–पिता के प्रार्थनापत्र को पोषणीय नही मान खारिज करने का आदेश देने में त्रुटि है। अधीनस्थ अधिकरण का निर्णय निरस्त योग्य है तथा प्रार्थीगण/अपीलार्थी द्वारा चाहा अनुतोष स्वीकार किये जाने योग्य है। अपीलार्थी प्रार्थीगण प्रार्थनापत्र मे वाहे गये शेष अनुतोष के साथ प्रार्थनापत्र से वर्णित मकान का आधिपत्य विपक्षी/प्रत्यर्थीगण से प्राप्ति के अधिकारी है जिसे प्रार्थीगण अपीलार्थी को दिलाया जावे। अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष उक्त न्यायिक विनिश्चिय बहस ने प्रस्तुत करने पर भी न केवल उन पर विचार किया

बल्कि उन्हें अपने निर्णय में सम्मिलित न कर अधीनस्थ अधिकरण ने अपना एक तरफा एवं मनमाना मत ही प्रकट किया है जो किसी भी प्रकार से न तो न्याय संगत है न विधि मान्य है, अंत में प्रार्थना की गई अपील स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ अधिकरण (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.08.2023 निरस्त किया जावे तथा प्रार्थीगण/अपीलार्थी का अधीनस्थ अधिकरण में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में वर्णित अनुतोष स्वीकार फरमाते हुए विपक्षी को आदेश फरमावें विपक्षीगण प्रार्थीगण के मकान 41 ए गांधीनगर सेक्टर नंबर 2 आकाशवाणी रोड चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ को खाली कर प्रार्थीगण को सुपुर्द करे। विपक्षी संख्या के लिए प्रार्थी ने अनुसुची में वर्णित अनुसार उसके नाम से बैंको ने बचत खाती व एफडी खुलवा कर काफी राशि जगा कराई है व नगद भी दी है, वह पुनः प्रार्थी को देवें। विपक्षी संख्या 1 के लिए प्रार्थी ने अनुसूची में वर्णित अनुसार बिजली का बिल जो पूरा प्रार्थी संख्या ने जमा कराया है राशि को विपक्षीगण से दिलवाई जावें। विपक्षी संख्या 1 के नाम चन्देरिया में दो प्लाट प्रार्थी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 1 के नाम क्रय किये है इन्हें दिनांक 29.07.2021 को बेचने पर प्राप्त 6 लाख रूपये विपक्षी संख्या 1 ने ले ली है उका राशि प्रार्थी संख्या 1 को विपक्षी संख्या 1 से पुनः प्राप्त करने का अधिकारी हैं उक्त राशि विपक्षी संख्या 1 से दिलवाई जाये। इसी प्रकार पशुपति विहार सेगवा चितौड़गढ में 1350 वर्गफीट का आवासीय भूखण्ड संख्या 3 मेरी स्वअर्जित आय से शफीक इकबाल (विपक्षी संख्या 1) एवं मझोले पुत्र अनीस मोहम्मद के संयुक्त नाम से क्रय किये हैं उक्त प्लाट प्रार्थी को पुनः दिलाये जाने एवं प्रार्थी के नाम कराये जाने के आदेश प्रदान करावें। प्रार्थी संख्या 2 एवं विपक्षी संख्या 1 के संयुक्त नाम से आईसीआईसीआई बैंक में लॉकर खोल रखा है जिसकी अब प्रार्थी संख्या 2 को आवश्यकता नही हैं। उसे बंद कराना है। जिसके लिए विपक्षी संख्या 1 को आदेशित किया जाये कि लॉकर बंद कराने के लिए इस हेतु आवश्यक फार्म पर हस्ताक्षर करके देवें।

इस पर अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख तलब किया गया एवं प्रत्यर्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। दिनांक 31.10.2023 को प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ से पत्रांक/न्याय/2023/1159 दिनांक 26.10.2023 से मूल अभिलेख पत्रावली प्राप्त हुई है जो कि पत्रावली के हम किता होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 12.12.2023 को प्रत्यर्थीगण की और से जवाब अपील पेश किया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 23.01.2024 को अपीलार्थी की और से जवाब–उल–जवाब पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 12.12.2023 को प्रत्यर्थी की और से प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 10.01.2024 को अपीलार्थी की और से जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 10.01.2024 को प्रत्यर्थी की और से प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 23.01.2024 को अपीलार्थी की और से जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 23.01.2024 को प्रत्यर्थी की और से प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 07.02.2024 को अपीलार्थी की और से जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। दिनांक

01.05.2024 को प्रत्यर्थी की और से प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 08.05.2024 को अपीलार्थी की और से जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

दिनांक 08.05.2024 को उभयपक्षकारान की सहमति से एवं प्रकरण को अपीलार्थी संख्या 1, प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं उभयपक्ष के न्यायमित्र अधिवक्ता की उपस्थिति में बंद कमरे में सुनवाई हेतु रखा गया, तथा प्रकरण में लम्बित प्रार्थना–पत्रों के संबंध में उभयपक्षकारान की आपसी सहमति एवं रजामंदी से कार्यवाही ड्रॉप की जाकर प्रकरण में अपीलार्थी संख्या 1, प्रत्यर्थी संख्या 1 व संबंधित अधिवक्तागणों से विस्तृत चर्चा के माध्यम से प्रकरण को सुना गया।

सर्वप्रथम अपीलार्थी ने अपेन कथन में प्रार्थना–पत्र वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अपीलार्थी/प्रार्थीगण माता–पिता ने विपक्षीगण पुत्र एवं पुत्रवधु के विरूद्ध माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत अधिनियम एवं अधिकारिता के समक्ष अनुतोष के लिए प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ अधिकरण ने प्रार्थीगण/माता–पिता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस आधार पर खारिज किया कि प्रार्थीगण/माता–पिता द्वारा प्रत्यर्थी पुत्र, पुत्र वधु से किसी प्रकार का भरण–पोषण नहीं चाहे जाने व स्वयं अपना व अपनी पत्नी का भरण पोषण करने में सक्षम होने से माता–पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण प्रोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 एवं माता–पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण नियम 2010 के तहत पोषणीय नही है अतः प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है।'' अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथीत होकर अपीलार्थी/ प्रार्थीगण माता–पिता यह अपील, माननीय अपील अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यो के विपरित होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ अधिकरण ने अधिनियम को बनाने के विधायिका के प्रयोजन को नहीं समझ अधिनियम का मनमाना एंव एकतरफा एवं संकीर्ण अर्थ लगाते हुए अपीलार्थी/प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र महज इस कारण खारिज कर दिया कि प्रार्थीगण/माता–पिता ने प्रार्थीगण पुत्र, पुत्रवधु से भरण पोषण हेतु राशि नहीं चाहे जाने एवं भरण पोषण करने में सक्षम है। विधायिका ने इस अधिनियम का गठन, माता–पिता एवं वरिष्ठ जन के हितों की रक्षार्थ जिसमे उनकी एवं उनकी संपति भी सम्मिलित है, के लिए किया है। इसी कारण अधिनियम के तहत बने नियम 2010 के अध्याय 5 में जिला मजिस्ट्रेट के कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख करते हुए नियम 20 (2) में कहा गया कि ''**जिला मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य होगा– यह सुनिश्चित करना कि जिले के वरिष्ठ नागरिको का जीवन और संपत्ति सुरक्षित है और वे सुरक्षा और गरिमा के साथ अपना जीवन यापन करने में समर्थ है।**'' अधिनियम 2007 के तहत बने नियम 2010 के अध्याय 6 मे नियम 21 से कहा गया है कि ''**जिला पुलिस अधीक्षक या ऐसे शहरो की दशा में जहां पुलिस आयुक्त है, ऐसा पुलिस आयुक्त वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपति के संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी ऐसे मार्गदर्शक सिद्धान्तों और या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए समस्त कदम उठायेगा।**'' इस प्रकार अधिनियम 2007 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण के अधिकार को ही सुनिश्चित नहीं करता बल्कि उनकी संपति की सुरक्षा के लिए भी निर्देशित करता है। अपीलार्थी प्रार्थीगण/माता–पिता ने अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के द्वारा अन्य अनुतोष के अलावा यह अनुतोष भी चाहा कि ''मकान 41 ए. गांधीनगर

सेक्टर सं. 2 आकाशवाणी रोड चित्तौड़गढ़ को खाली कर प्रार्थीगण को सुपुर्द करे।'' उक्त अनुतोष के अलावा चाहे गये सभी अनुतोष अधिकरण में न केवल पोषणीय है बल्कि उक्त अनुतोष दिलाने की अधिकारिता अधिकरण को प्राप्त है।

इस पर प्रत्यर्थी संख्या 01 ने अपने कथन में अपील मेमों वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर जवाब अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अपीलार्थीगण ने आवेदन अन्तर्गत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 04 व 5 के अन्तर्गत दिनांक 16.12.2022 को अपने दो अन्य पुत्रों के बहकावे मे आकर विधीक सलाह प्राप्त कर झूठे व मनगढ़ंत तथ्य अंकित कर स्वयं के अर्जन से या उसके स्वामित्वधन संपत्ति से स्वयं का भरण पोषण करने में समर्थ होते हुए भी माननीय अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमे प्रार्थीगण द्वारा भरण पोषण संबंधी कोई अनुतोष नही चाहा गया जिसे माननीय अधिकरण ने उभयपक्षों को सुनने के पश्चात दिनांक 02.08.2023 यह मानते हुए कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र द्वारा प्रत्यर्थी से किसी भी प्रकार का भरण पोषण नहीं चाहे जाने व स्वयं अपना व अपनी पत्नी का भरण पोषण करने में सक्षम होने से माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 व राजस्थान सरकार माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण नियम 2010 के तहत पोषनीय (**Maintainable**) नहीं होने से प्रार्थना–पत्र खारीज किया। जो विधी अनुसार सही है। माता–पिता और माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 04 (1) के अन्तर्गत यह अंकित किया गया है कि माता–पिता के विषय में अपने सन्तानों में से एक या अधिक के विरूद्ध भरण पोषण का आवेदन किया जा सकता है परन्तु अपीलार्थी संख्या 01 ने अपने दो अन्य पुत्रों को पक्षकार न बनाकर प्रत्यर्थी संख्या 01 की पत्नी अजरा को (गलत नाम अजरा खानम व उम्र 43 वर्ष) अंकित कर मानसिक रूप से परेशान व प्रताडित करने की नियत से पक्षकार बनाया जो विधी मे वर्जित है। अपीलार्थी माननीय अधीनस्थ अधिकरण में अपने दावे के समर्थन में किसी भी प्रकार के साक्ष्य/साक्षी प्रस्तुत कर साबित कराने में असफल रहे है। माननीय अधीनस्थ अधिकरण ने समस्त प्रस्तुत दस्तावेजों जवाब एवं उभयपक्षों को सुनने के पश्चात दिनांक 02.03.2023 यह मानते हुए कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र द्वारा प्रत्यर्थी से किसी भी प्रकार का भरण पोषण नही चाहे जाने व स्वयं अपना व अपनी पत्नी का भरण पोषण करने में सक्षम होने से माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 व राजस्थान सरकार माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण नियम 2010 के तहत पोषनीय (**Maintainable**) नहीं होने से प्रार्थना–पत्र खारीज किया जो विधीनुसार सही है। माननीय अधीनस्थ अधिकरण ने माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 व राजस्थान सरकार माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण नियम, 2010 का गहन अध्ययन करने के पश्चात अपीलार्थीगण आवेदन करने का हकदार (**entiteld**) नही होन से व प्रार्थनापत्र अधिनियम में पोषनीय (**Maintainable**) नहीं होने से आदेश दिनांक 02.08.2023 से खारिज किया जो विधीनुसार सही है। अपीलार्थी अपने अन्य पुत्रों व पुत्रवधुओं के साथ मकान नम्बर 41–ए, सेक्टर–2, गांधीनगर, चित्तौडगढ (राज.) मे 22 वर्षो से प्रथम तल पर निवास कर रहे है और 08 कमरो व हाल, पोर्च, किचन, 04 बाथरूम

का उपयोग कर रहे है, अपीलार्थीगण तथा प्रत्यर्थीगण के बाहर आने जाने का रास्ता भी अलग (पृथक) से है। अपीलार्थीगण अकेले नहीं रह रहे है उनके अन्य पुत्र व पुत्र वधुऐ भी उनके साथ रह रहे है तथा अपीलार्थीगण के अकेले नही रहने के कारण उनके जीवन संपत्ति को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नही है। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 01 की पत्नी प्रत्यर्थी संख्या 02 के साथ की जा रही घरेलू हिंसा का विरोध किया तथा इस संबंध मे समाज के मोतबीर व्यक्तियो ने समझाईश की तो अपीलार्थी संख्या 01 ने अपने दो अन्य पुत्रो के बहकावे में आकर प्रत्यर्थी संख्या 01 की पत्नी को दिनांक 18.11.2022 को यह धमकी दी की वह उसे इस मकान ने साझा गृहस्थी मे निवास नहीं करने देगें तथा 15 दिवस में रोड पर लाकर खड़ा कर देगें, जो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) व धारा 17, 19 उल्लंघन है और इसी को लेकर अपीलार्थी संख्या 01 ने अपने अन्य दो पुत्रो के साथ मिलकर झूठे व मनगंढत तथ्यों पर आधारित प्रार्थना पत्र माननीय अधीनस्थ अधिकरण में प्रस्तुत किया, जिसे माननीय अधीनस्थ अधिकरण ने विधी में पोषनीय (**Maintainable**) नही होने से खारीज किया है। माननीय अधीनस्थ अधिकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे जो अनुतोष प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये है वह माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 व राजस्थान माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण तथा कल्याण नियम 2010 किसी भी धारा व नियमो मे वर्णित नहीं है। प्रार्थीगण ने माननीय अधीनस्थ अधिकरण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे भरण पोषण संबंधी कोई अनुतोष नहीं चाहा है, अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी न्यायिक विनिश्चिय उक्त प्रकरण पर लागू नही है क्योंकि अपीलार्थी द्वारा माता–पिता और माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 में अधिनियम की धारा 04 व 5 के तहत प्रस्तुत किया है, जिसमे कोई वरिष्ठ नागरिको जिसके अन्तर्गत माता–पिता है, जो स्वयं के अर्जन से या उसके स्वामित्वधीन संपती से स्वयं का भरण पोषण करने मे असमर्थ है, धारा 4 व 5 के अधीन कोई आवेदन करने का हकदार (**entiteld**) होगें। प्रार्थीगण ने माननीय अधीनस्थ अधिकरण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ने भरण पोषण संबंधी कोई अनुतोष नहीं चाहा है। प्रार्थीगण स्वयं के अर्जन से या उसके स्वामित्वधीन संपती से स्वयं का भरणपोषण करने में समर्थ है, इसलिये अधीनस्थ नाननीय अधिकरण ने अधिनियम के तहत पोषनीय (**Maintainable**) नही होने से प्रार्थना पत्र खारीज किया जो विधीनुसार सही है साथ ही माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियन 2007 में अधिनियम की धारा 32 मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान सरकार माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण नियम 2010 बनाये हैं एवं 18 जून 2010 को लागू किये गये है इसी प्रकार भारत के विभिन्न राज्यो ने भी अपने राज्य के लिये अधिनियम की धारा 32 का प्रयोग कर नियम बनाये जो राजस्थान राज्य में बनाये नियमों से भिन्न है इस कारण अर्पीलाथी द्वारा अन्य राज्यों के न्यायालयों के न्यायिक विनिश्चिय प्रस्तुत किये है तथा अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ अधिकरण भरण पोषण भत्ते संबंधी कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है अपीलार्थीगण स्वयं के अर्जन से या उसके स्वामित्वधीन संपती से स्वयं का भरणपोषण करने व मूलभूत सुविधाओ और शारिरिक आवश्यकताओ को पूर्ण मे समर्थ है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक विनिश्चिय उक्त प्रकरण पर लागू नहीं है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23

में स्पष्ट प्रावधान है कि जहां किसी वरिष्ठ नागरिक ने जिसने इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात दान द्वारा या अन्यथा अपनी संपती का अन्तरण इस शर्त के अधिन किया गया है कि अन्तरिती अन्तरक को मूलभूत सुविधाओं और शारिरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा और ऐसा अन्तरिती ऐसी सुविधा और शारिरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने से इन्कार करता है या असफल रहता है वहां संपती इस प्रकार उक्त अन्तरण कपट या प्रपीडन द्वारा या असम्यक असर के अधिन किया गया मान जायेगा, परन्तु उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण में माननीय अधीनस्थ अधिकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे भरण पोषण संबंधी कोई अनुतोष नही चाहा है तथा माननीय अधीनस्थ अधिकरण में रिपीटल बहस में अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी से भरण पोषण नही चाहा गया अतः इससे यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण स्वयं के अर्जन से या उसके स्वामित्वधीन संपती ने स्वयं का भरणपोषण करने व मूलभूत सुविधाओ और शारिरिक आवश्यकताओ को पूर्ण मे समर्थ है तथा प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी की किसी भी मूलभूत सुविधाओ और शारिरिक आवश्यकताओ को पूर्ण करने से इन्कार नहीं किया है एवं नहीं असफल रहा है एवं न ही अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात अपीलार्थीगण ने कोई संपती दान द्वारा या अन्यथा अपनी संपती का अन्तरण प्रत्यर्थीगण को इस शर्त के अधिन किया गया है कि अन्तरिती अन्तरक को मूलभूत सुविधाओं और शारिरिक आवश्यकताओ को पूर्ण करेगा। प्रत्यर्थी संख्या 01 लगभग 22 वर्षो से वर्ष 2000 से व विवाह के पश्चात प्रत्यर्थीगण वर्ष 2006 से लगभग 18 वर्षो से मकान नम्बर 41 ए सेक्टर –2, गांधीनगर, चित्तौडगढ मे शांतीपूर्ण तरीके से निवासरत होकर भूतल पर बने 2 कमरे व 1 हाल किचन व बाथरून पर काबिज होकर अपने परिवार जिसगे प्रत्यर्थी संख्या 01 की पत्नी अजरा व पुत्री आलिया आयु – 14 वर्ष व पुत्र अशहर आयु– 8 वर्ष के साथ खुले एवं निर्बाध रूप से अपीलार्थी की निरन्तर जानकारी मे विधी अनुसार बिना किसी रोक टोक के उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है जो इस इस अधिनियम के प्रारम्भ 2007 के पूर्व से है। इसलिये अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील विधी में पोषनीय (**Maintainable**) नहीं होने से स्वीकार करने योग्य नहीं हैं। अपीलार्थी संख्या 01 राजस्थान वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी के पद से सेवानिवृत हुए है जिन्हें आरजीएचएस योजना का लाभ प्राप्त है, तथा लगभग 70000/– मासिक पेशन मिलती है तथा प्रार्थी संख्या 01 के गायरीखेडा तहसील चित्तौडगढ ने कृषि भूमि है। जिससे अपीलार्थी संख्या 01 को सालाना 500000 /– की आय होती है व बैंक खातो मे जमा राशी/एफडीआर से काफी ब्याज भी प्राप्त होता है, तथा अपीलार्थी का मंझला पुत्र अनीस मोहम्मद डीमार्ट में मैनेजर के पद पर कार्यरत है जिसका मासिक वेतन 1 लाख रूपये है व छोटा पुत्र नफीस मोहम्मद बैंक में कार्यरत है जिसका मासिक वेतन 80 हजार रूपये है इससे यह स्पष्ट है अपीलार्थी स्वयं के अर्जन से या उसके स्वामित्वधीन संपती से स्वयं का भरण पोषण करने में समर्थ है। माननीय अधीनस्थ अधिकरण में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र ने प्रत्यर्थी से किसी भी प्रकार का भरण पोषण नही चाहे जाने व स्वयं अपना व अपनी पत्नी का भरण पोषण करने में सक्षम होने से माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 व राजस्थान सरकार माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण नियम 2010 के तहत पोषनीय (**Maintainable**) नही होने से माननीय अधिकरण के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की नहीं होने से निरस्ती योग्य है। अपीलार्थी अपने अन्य पुत्रों व पुत्रवधुओं के साथ मकान नम्बर

41 ए सेक्टर –2, गांधीनगर, चित्तौडगढ (राज.) मे वर्षो से प्रथम तल पर निवास कर रहे है और 08 कमरो व हाल, पोर्च, किचन, 04 बाथरूम का उपयोग कर रहे है । अपीलार्थीगण तथा प्रत्यर्थीगण के बाहर आने जाने का रास्ता भी अलग (पृथक) से है। जिन्हें निवास हेतु स्थान की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हैं। प्रत्यर्थी संख्या 01 लगभग 22 वर्षो से तथा प्रत्यर्थी संख्या 01 के विवाह के पश्चात प्रत्यर्थीगण वर्ष 2006 से लगभग 16 वर्षो से मकान नम्बर 41–ए, सेक्टर –2, गांधीनगर, चित्तौडगढ ने शांतीपूर्ण तरीके से निवासरत होकर भूतल पर बने 2 कमरे व 1 हाल किचन व बाथरूम पर काबिज होकर अपने परिवार जिसमे प्रत्यर्थी संख्या 01 की पत्नी अजरा व पुत्री आलिया आयु 14 वर्ष व पुत्र अशहर आयु 8 वर्ष के साथ खुले एवं निर्बाध रूप से अपीलार्थी की निरन्तर जानकारी मे विधी अनुसार बिना किसी रोक टोक के उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है, जबकि माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 राजस्थान में दिनांक 01.08.2008 व राजस्थान माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण तथा कल्याण नियम 2010 दिनांक 18.06.2010 में लागु किये गये। अतः मकान संबंधी अपीलार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रत्यथी संख्या 01 के वर्ष 2000 से तथा प्रत्यर्थीगण के विवाह के पश्चात से वर्ष 2006 से उक्त मकान में निवास करने के कारण पूर्वव्यापी प्रभाव (**Retrospitive Effect**) होने से अधिनियम में पोषनीय नहीं है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 व राजस्थान सरकार माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण नियम 2010 की किसी भी धारा व नियम में किसी अचल संपती/मकान से वैध कब्जेधारी को बेदखल करने का कोई प्रावधान वर्णित नहीं होने से अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील पत्र माननीय अधिकरण के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार की नहीं होने से निरस्त योग्य है। प्रत्यर्थी संख्या 01 बालिग होने के पश्चात से ही छोटे मोटे कार्य कर आय अर्जित करने लग गया था। प्रत्यर्थी संख्या 01 के खाते की पास बुक व अन्य दस्तावेज भी अपीलार्थी के पास पड़े होने से अपीलार्थी का पुत्र नफीस मोहम्मद जो कि बैंक ने कार्यरत है ने प्रत्यर्थी संख्या 01 को मानसिक रूप से परेशान करने की नियत से अपने पद का दुरूपयोग कर विधी विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या 01 के खातो की डिटेल निकालकर माननीय अधीनस्थ अणिकारण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की उक्त राशी प्रत्यर्थी संख्या 01 की स्वअर्जित है जिसे अपीलार्थीगण पाने के अधिकारी नही है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अनूसूची वर्णित समस्त राशी स्वअर्जित है तथा प्रत्यर्थी संख्या 01 के नाम से बैंक खातो में जमा है। जिसके अपीलार्थी कानुनी हकदार नहीं है। किसी भी बैंक जमा राशी के लिये प्राप्त किये जाने के लिये आईबीआई ने नियम/नोटिफिकेशन व गाइडलाइन जारी कर रखी है, माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 व राजस्थान माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण तथा कल्याण नियम 2010 किसी भी धारा व नियम में किसी के स्वयं के नाम से बैंक खातो में जमा राशी दिलाये जाने का प्रावधान नही है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील पत्र माननीय अधिकरण के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार को नहीं होने से निरस्ती योग्य है। प्रत्यर्थीगण भूतल पर बने 2 कमरे व 1 हाल में निवासरत है तथा भवन में सबमीटर भी लगा है, बिजली खर्च की राशी भी प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा समय समय पर अपीलार्थीगण के कहे अनुसार दी गई है, तथा अपीलार्थी संख्या 01 से

अलग से नया कनेक्शन लगाने हेतु भी कहा परन्तु अपीलार्थी संख्या 01 ने कभी भी इस कार्य में सहयोग नही किया एंव नया तन्हां विद्युत कनेक्शन नही लगाने दिया। अपीलार्थीगण व उनके 02 अन्य पुत्र व पुत्रवधु 08 कमरो व 04 बाथरूम व हाल पोर्च आदि का उपयोग करते है जिसमे बिजली ज्यादा खर्च होती है फिर भी प्रत्यर्थी संख्या 01 अपने अन्य 2 पुत्रो से बिजली राशी की मांग नही कर प्रत्यथीगण को परेशान करने की नियत से यह तथ्य अंकित किये है फिर भी प्रत्यर्थी संख्या 01 ने बिजली उपभोग दिनांक 01.01.2023 से लेकर 31.12.2023 तक की राशी प्रतिमाह औसत उपभोग के आधार पर 2000/– प्रतिमाह के हिसाब से 24000/– रूपये का चैक संख्या 054603 दिनांक 04.08.2023 इंडियन बैंक शाखा चित्तौड़गढ का पंजीकृत सूचना पत्र दिनांक 11.08.2023 के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जिसे भी अपीलार्थी संख्या 01 द्वारा जवाब (फोटोप्रति) दिनांक 02.10.2023 के साथ बिना किसी युक्ति युक्त कारण लौटा दिया। इस पर प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा पुनः जवाब (फोटोप्रति) दिनांक 02.10.2023 के प्रतिउत्तर दिनांक 13.10.2023 मे कुल उपभोग अंकित बिजली बिल एवं पानी के बिल की राशी पुनः नवीन चैक राशी 24450/– रूपये का चौक संख्या 054605 दिनांक 13.10.2023 इंडियन बैंक शाखा, चित्तौड़गढ का पंजीकृत जवाब प्रतिउत्तर सूचना पत्र दिनांक 13.10.2023 के साथ संलग्न कर प्रेषित किया गया जो वर्ष 2023 मे अब तक खर्च की गई विद्युत राशी की आधी राशी से भी अधिक राशी है और अपीलार्थी संख्या 01 से निवेदन किया गया कि प्रत्यर्थी संख्या 01 इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष के जनवरी माह में पूरे वर्ष की बिजली उपभोग की राशी अदा करता रहेगा। उक्त भवन में सबमीटर भी लगा हुआ है यदि प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा अदा की गयी राशी से अधिक का उपभोग किया जाता है, तो अपीलार्थी संख्या 01 सबमीटर रिडिंग के आधार उपभोग डिफरेन्स राशी अपने जाते के डिटेल के साथ मेरे पक्षकार को व्हाटसअप/अन्य माध्यम से अवगत करावे। प्रत्यर्थी संख्या 01 उक्त डिफरेन्स राशी को अविलम्ब आपके बैंक खाते में जमा करा देगा। राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा मे 100 यूनिट प्रतिमाह बिजली कि योजना लागु की है, प्रत्यर्थी संख्या 01 का कुल प्रतिमाह उपभोग लगभग 100 युनिट ही है। अतः अपीलार्थी सहयोग करे तो प्रत्यर्थी संख्या 01 खर्चे पर अपने नाम से नया तन्हा विद्युत कनेक्शन लेने को भी तैयार है जिससे प्रत्यर्थी संख्या 01 को 100 यूनिट योजना का लाभ मिल सकेगा और भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होने की संभावना नहीं रहेगी। अपीलार्थी संख्या 01प्रत्यर्थीगण को मानसिक रूप से परेशान करने की नियत से मनगढंत व गलत तथ्य अंकित किये है। प्रत्यर्थी संख्या 01 बालिग होने के पश्चात से ही छोटे मोटे कार्य कर आय अर्जित करने लग गया था। प्रत्यर्थी संख्या 01 ने स्वयं की आय व बचत से कम दामों में चन्देरिया ने 02 प्लाट प्रत्यर्थी संख्या 01 के स्वयं के नाम से पंजीयन करा कय किये थे जो प्रत्यर्थी संख्या 01 के स्वामित्व व आधिपत्य के थे। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 व राजस्थान सरकार माता पित और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण नियम 2010 की किसी भी धारा व नियम में स्वयं के नाम से पंजीकृत भूखंड की राशी दिलाये जाने का प्रावधान नही है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील पत्र माननीय अधिकरण के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार की नहीं होने से निरस्ती योग्य है। प्रत्यर्थी संख्या 01 बालिग होने के पश्चात से ही छोटे मोटे कार्य कर आय अर्जित करने लग गया प्रत्यर्थी संख्या 01 ने स्वयं की आय से कन दामो पर एक आवासीय भूखण्ड

पशुपति विहार सेगवा, चित्तौड़गढ़ में 1350 वर्गफट का कथ कर पंजीयन कराया जिसकी सम्पूर्ण राशी 160000/– का भुगतान प्रत्यर्थी संख्या 01 ने अपने खाते से चेक के माध्यम से किया परन्तु अपीलार्थीगण ने विश्वास से लेकर उक्त प्लाट के पंजीयन ने अपने पुत्र अनीस मोहम्मद का नाम अंकित करवा दिया। जबकि सम्पूर्ण कय राशी का भुगतान प्रत्यर्थी संख्या 01 ने स्वयं की आय से किया है जिससे उक्त भूखण्ड प्रत्यर्थी संख्या 01 के स्वामित्व व आधिपत्य होने से अपीलार्थीगण का उक्त भूखण्ड पर कोई हक अधिकार नही है। इसलिये अपीलार्थीगण उक्त भूखण्ड प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 व राजस्थान सरकार माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण नियम 2010 की किसी भी धारा व नियम में स्वंय के नाम से पंजीकृत भूखंड का मालिकाना हक परिवर्तित किये जाने या राशी दिलाये जाने का प्रावधान नही है। प्रत्यर्थी संख्या 01 ने अलार्थी संख्या 02 के साथ संयुक्त एक बैंक लॉकर अपने उपयोग उपभोग हेतु आई.सी.आई.सी.आई बैंक में पूर्व मे खुलवाया था तत्समय अपीलार्थी संख्या 01 राजकीय सेवा होने से ज्यादातर समय चित्तौडगढ से बाहर रहने के कारण अपनी धन राशी, जेवरात व दस्तावेजो को लेकर चिंतीत रहते थे जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 01 उक्त लॉकर अपीलार्थी संख्या 01 को उपयोग उपभोग हेतु दिया अपीलार्थी संख्या 01 सेवानिवृत होने के पश्चात जब प्रत्यर्थी संख्या 01 लॉकर की आवश्यकता पडी प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा बार बार दस्तावेज व चाबी की मांग करने पर भी अपीलार्थी संख्या 01 द्वारा लॉकर के दस्तावेज व चाबी लौटाने से मना कर दिया। अपीलार्थी संख्या 1 ने गलत तथ्य अकिंत किये है प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा बैंक की केवाईसी भी अपडेट करा दी तथा लौकर के नवीन अनुबंध के संबंध में बैंक द्वारा भी प्रत्यर्थी संख्या 01 को नोटिस दिये जा रहे थे इस पर प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा पंजीकृत सूचना पत्र दिनांक 11.08.2023 के माध्यम से अपीलार्थीगण से निवेदन किया कि उक्त लॉकर की चाबी प्रत्यर्थी संख्या 01 को लौटा दे या बैंक में जमा करा दे और अपीलार्थी संख्या 02 की केवाईसी अपडेट करा दे तो प्रत्यर्थी संख्या 01 उक्त लॉकर के समस्त चार्ज जमा कर उक्त लॉकर का उपयोग उपभोग कर सकेगा या लॉकर बंद कर सकेगा परन्तु उक्त इस संबंध मे अपीलार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार को कोई सहयोग नही दिया गया और अपील में उक्त तथ्यो को बढ़ा चढ़ा कर अंकित किया है। अतः अपीलार्थी को निर्देशित किया जाये कि वह बैंक में लॉकर की चाबी जमा करावे तथा केवाईसी अपडेट कर प्रत्यर्थी संख्या 01 को अवगत करावे ताकि प्रत्यर्थी संख्या 01 उक्त लॉकर को बंद कराया या प्रत्यर्थी संख्या 01 उसका उपयोग कर सके। माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 मे अधिनियम की धारा 4(1) कोई वरिष्ठ नागरिको जिसके अन्तर्गत माता–पिता है, जो स्वयं के अर्जन से या उसके स्वामित्वधीन संपती से स्वयं का भरण पोषण करने मे असमर्थ है, धारा 5 के अधीन कोई आवेदन करने का हकदार (**entiteld**) होगे। अपीलार्थीगण ने माननीय अधीनस्थ अधिकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे भरण पोषण संबंधी कोई अनुतोष नही चाहा है। प्रार्थना पत्र ने ही प्रार्थी संख्या 01 के द्वारा उनवान ने स्वंय सेवानिवृत उप वन संरक्षक अंकित किया है जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण स्वयं के अर्जन से या उसके स्वामित्वधीन संपती से स्वयं का भरणपोषण करने में समर्थ है, इसलिये अपीलार्थीगण अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन करने के हकदार (**entiteld**) नही है। अतः अपीलार्थीगण

द्वारा प्रस्तुत अपील अधिनियम में पोषित (**Maintainable**) नही होने से निरस्ती योग्य है। राजस्थान सरकार माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण नियम 2010 के नियम 4(1) के अन्तर्गत भरण पोषण के लिये आवेदन प्रारूप (क) और (ख) मे अधिकथित रिति से किया जायेगा (**An application for maintenance under Section 4 shall be made in Form 'A'**) यंहा नियम में **shall** शब्द का प्रयोग किया गया है जो अधिनियम ने अनिवार्य प्रावधान (**Mandatory Provision**) है. अपीलार्थीगण द्वारा माननीय अधीनस्थ अधिकरण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियमों में वर्णित प्रारूप मे नही होने से एवं नियमो के अन्तर्गत कोई अनुतोष भी नहीं चाहे गये है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील अधिनियम में पोषित(**Maintainable**) नहीं होने से निरस्ती योग्य है। वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण नियम 2010 के नियम 10 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि यदि नियम 06 के अधिन जारी नोटिस में नियत तारीख को विरोधी पक्षकार हाजीर होता है और भरण पोषण के विरूद्ध कारण दर्शित करात है अधिकरण दोनो पक्षो सेराय मांगेगा कि क्या वे चाहेगें कि मामला किया सुलह अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाये यह अधिनियम मे अनिवार्य प्रावधान (**Mardatory Provision**) किये गये है, इससे यह स्पष्ट कि उक्त नियम 10 व नियम 11 (2) समझौता ज्ञापन प्रारूप में भी भरण पोषण का वर्णन किया गया है अपीलार्थी द्वारा चाहे गये अनुताषों का वर्णन नही है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्ती योग्य है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 17 मे यह प्रावधानित किया गया है कि किसी विधि मे अन्तर्विष्ट किसी चीज के होते हुए भी अधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाही के किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व विधि व्यवसायी द्वारा नहीं किया जायेगा यह अधिनियम मे अनिवार्य प्रावधान (**Mandatory Provision**) किये गये है, अपीलार्थी द्वारा भरण पोषण में सक्षम होते हुए भी मात्र प्रत्यर्थीगण को मानसिक रूप से परेशान करने की नियत से कानूनी सलाह लेकर अधिवक्ता नियुक्त कर प्रार्थना पत्र अधिवक्ता से तैयार करा प्रत्येक पृष्ठ पर अधिवक्ता के हस्ताक्षर करा कर माननीय अधीनस्थ अधिकरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा माननीय अधीनस्थ अधिकार में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में चाहे अनुतोष संख्या मे वकील मेहनताना की मांग की है जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त प्रार्थना पत्र विधि व्यवसायी द्वारा तैयार कराया गया है जो विधी वर्जित है। अतः इस आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्तीयोग्य है। माता–पिता और वरिष्ट नागरिको का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 व राजस्थान सरकार माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण नियम 2010 में अधिनियम के नियन 5 (2) मे प्रार्थना–पत्र की प्रारम्भिक संवीक्षा का प्रावधान है अपीलार्थीगण द्वारा माननीय अधीनस्थ अधिकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे भरण पोषण संबंधीकाई अनुतोष नही चाहा गया है। प्रत्यर्थी संख्या 01 के निवास से बाहर आने जाने का रास्ता भी अलग (पृथक) से है। प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 ने अपीलार्थीगण की किसी भी संपत्ती खुर्द बुर्द नही किया न ही कभी कोई नुकसान पंहुचाया है है। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी संख्या 01 द्वारा प्रत्यर्थी व उसकी पत्नी को मात्र मानसिक रूप से परेशान करने के लिये कल्याणकारी अधिनियम का दुरूपयोग कर से माननीय अधीनस्थ न्यायालय नेप्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः इस आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्ती योग्य है। राजस्थान माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण नियम 2010 के नियम 10 मे यह स्पष्ट रूप से अंकित है

कि यदि नियम 06 के अधिन जारी नोटिस मे नियत तारीख पर विरोधी पक्षकार हाजिर होता है और आवेदक भरण पोषण के लिये अपने दायित्व को स्वीकार कर लेता है और दोनो पक्षकार पारस्परिक रूप से सहमत किसी समझौते पर पहुचते है तो अधिकरण तदनुसार आदेश पारित करेगा उक्त प्रकरण में आवेदक अपीलार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का भरण पोषण राशी की मांग नहीं की गयी है। इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिंद्धात प्रतिपादित किये है कि पारिवारिक मामलो मध्यस्था के नाध्यम से सुलह का प्रयास किया जावे राजस्थान माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण नियम, 2010 के नियम 10 मध्यस्थता के माध्यम से सुलह का प्रावधान है परन्तु अपीलार्थी संख्या 01 ने माननीय अधीनस्थ अधिकरण ने भी सुलह अधिकारी को निर्दिष्ट किये जाने से मना कर दिया अतः इससे स्पष्ट है प्रत्यर्थी संख्या 01 ने अपीलार्थी के भरण पोषण के दायित्व से कभी इन्कार नहीं किया एवं नही व इस कार्य में असफल रहा है इससे अपीलार्थी संख्या 01 मंशा स्पष्ट है कि वह मात्र कल्याणकारी अधिनियम का दुरूपयोग कर प्रत्यर्थीगण को मानसिक रूप से परेशान करना चाहता हैं । अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्ती योग्य है। राजस्थान माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण नियम 2010 के नियम 13 (4) में यह प्रावधानित किया गया है कि नियम 12 के उपनियम (1) के अधिन जारी नोटिस के जवाब में एक या दोनों पक्षकार सुलह अधिकारी द्वारा कराये गये समझौते की पुष्टि से इन्कार करते हैं तो अधिकरण दोनो पक्षों को अपने दावे के समर्थन मे साक्ष्य देने का अवसर देगा माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण अपने दावे के समर्थन मे किसी भी प्रकार के साक्ष्य/साक्षी प्रस्तुत कर साबीत कराने में असफल रहें है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे जो अनुतोष अपीलार्थीगण द्वारा चाहे गये है वह माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 व राजस्थान माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण तथा कल्याण नियम, 2010 किसी भी धारा व नियम में वर्णित नही है। प्रत्यर्थी संख्या 01 लगभग 22 वर्षो से तथा प्रत्यर्थी संख्या 01 के विवाह के पश्चात प्रत्यर्थीगण वर्ष 2006 से लगभग 16 वर्षो से मकान नम्बर 41– ए सेक्टर–2, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़ मे शांतीपूर्ण तरीके से निवासरत होकर भूतल पर बने 2 कमरे व 1 हाल किचन व बाथरूम पर काबिज होकर अपने परिवार जिसमे प्रत्यर्थी संख्या 01 की पत्नी अजरा व पुत्री आलिया आयु 14 वर्ष व पुत्र अशहर आयु–8 वर्ष के साथ खुले एवं निर्बाध रूप से अपीलार्थी की निरन्तर जानकारी मे विधी अनुसार बिना किसी रोक टोक के उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है, जबकि माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 राजस्थान में 01.08.2008 व राजस्थान माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण तथा कल्याण नियम 2010 वर्ष 2010 मे लागु किये गये। अतः मकान संबंधी अपीलार्थीगण द्वारा चाहा गया। अनुतोष प्रत्यर्थीगण विवाह के पश्चात से वर्ष 2006 से उक्त मकान में निवास करने के कारण पूर्वव्यापी प्रभाव (**Retrospetive Effect**) होने से अधिनियम मे पोषनीय नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्ती योग्य है। प्रत्यर्थी संख्या 01 को पत्नी प्रत्यर्थी संख्या 02 अजरा विवाह के पश्चात वर्ष 2006 से व पुत्री आलिया 2010 व पुत्र अशहर जन्म के पश्चात से उक्त वर्णित मकान नम्बर 41ए सेक्टर 2, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़ (राज.) ने साझी गृहस्थी में निवास कर रहे है, जो उनका विधीक व संवैधानिक अधिकार है जिसे इस अधिनियम के तहत

समाप्त नही किया जा सकता। अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 01 के स्वंय के नाम से बैंक में जमा राशीयों तथा बैंक लोकर व स्वयं के नाम से पंजीयन करा कय किये गये भूखंडों के संदर्भ में अभिवचन अंकित कर अनुतोष चाहा है जबकि माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 व राजस्थान माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण तथा कल्याण नियम, 2010 की किसी भी धारा व नियम 2010 मे किसी की स्वयं की अचल संपती को किसी अन्य को दिनाने का तथा स्वयं के नाम से पंजीकृत भूखण्डो का मालिकाना हक परिवर्तन करने व बैंक में निजी खातो की राशी प्राप्त करने का कोई प्रावधान वर्णित नही होने से अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील पत्र माननीय अधिकरण के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार का नहीं होने से निरस्ती योग्य है, अतः प्रार्थना है कि प्रत्यर्थी संख्या 01 व प्रत्यर्थी संख्या 02 की और से प्रस्तुत जवाब स्वीकार फरमाया जाकर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सव्यय निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावे। इसी ईल्तजा के साथ प्रत्यर्थीगण ने अपने कथनों को विराम दिया।

इस पर अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मूल प्रार्थना पत्र ‘‘माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 यथा संशोधित अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया था न कि इस नियम की धारा 04 व 05 के तहत जैसा कि माननीय न्यायालय उप खण्ड मजिस्ट्रेट (माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अभिकरण) चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के विषय में स्पष्ट अंकीत किया गया था किन्तु अधीनस्थ अधिकरण ने अधिनियम को बनाने के विधायिका के मूलभूत प्रयोजन को नहीं समझ अधिनियम का मनमाना एवं एक तरफा संकण अर्थ लगाते हुए अपीलार्थी/ प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र महज इस कारण खारीज कर दिया कि प्रार्थीगण माता पिता ने पुत्र, पुत्रवधु से भरण पोषण नहीं मांगे जाने एवं भरण पोषण करने में सक्षम है। जबकि विधायिका ने इस अधिनियम का गठन माता पिता एवं वरिष्ठजन के हितो की रक्षार्थ जिसमें उनकी सम्पत्ति भी सम्मिलित है के लिए किया है। In the High Court of Rajasthan Juridicature for Rajasthan Bench Jaipur in case Suresh Sharma V/s Dhanwanti Sharma S.B. Civil writ Petition No. 6089/2019 में भरण पोषण नहीं मांगते हुए अपने मकान में शांती व सुकुन से रहना चाहा है जिसे माननीय न्यायालय ने सही माना है। In the High court of Punjab and Haryana L.P.A. No. 1007 of 2013 Justice Shanti Sarup Dewan V/S Union territory and Ors observed that Sec 04 and Sec. 23 are separate and distinct remedies and the Claim for maintenance is not a condition precedent for passing an eviction order under sec 23 of Act 2007. In respect of Judgment of Madras High Court in case WP No 28190 of 2022 Mohammed Dayan Vs The District Collector and ors "Close reading of the principles considered by the various High Courts and the Supreme Court, there is no ambiguity with reference to the purpose and object sought to be achieved under the provisions of the Senior Citizen Act. Section 4 (2) of the Act, unambiguously stipulates that the obligation of the children or the relative, as the case may be to maintain a senior citizen eÛtends to the needs of such citizen so that senior citizen may lead a normal life. Thus the normal life as indicated under Section 4 (2) of the Act, is not mere life, but a life with security and dignity. अधीनस्थ अधिकरण में अपने प्रार्थना पत्र के साथ साक्ष्य एवं विभिन्न न्यायालयों के विनिश्चय प्रस्तुत किये गये किन्तु अधीनस्थ अधिकरण ने उन पर विचार किये बिना ही एक तरफा निर्णय कर प्रार्थीगण को न्याय से दौरा किया गया है जिससे व्यथीत होकर प्रार्थीगण ने यह

अपील प्रस्तुत की गई है। विपक्षीगण को अस्थायी रूप से अन्य व्यस्था होने तक दिनांक 06.09.2018 से भूतल पर रहने को कहा गया था तब से वह भूतल पर रह रहे है व अपीलार्थी एवं उनकी पत्नी से आये दिन झगडा करते रहते है एवं अपने अधिवक्ता के माध्यम से अनावश्यक तथ्यहीन व निराधार नोटिस एवं झूठे मामलो मे फंसाने की धमकियाँ देकर मुझे मानसिक वेदना व पीडा पहुंचा रहे है जिससे मेरा जीना दुर्भर कर दिया है एवं मेरा स्वास्थ्य प्रतिकूल प्रभावित हो रहा है और मैं अपना सामान्य जीवन व्यतीत नही कर पा रहा हूँ जिसे मेरे जीवन को खतरा है। इन परिस्थितियों मे मैने इन्हें दी गई अस्थायी सहमति वापस लेते हुए इन्हे मेरा आवास खाली करने का कहां जो इनके द्वारा नही करने पर न्यायालय की शरण लेनी पड़ी है। अपीलार्थी संख्या 01 वर्ष 1999 से डायबीटीज टाईप–2 उच्च रक्तचाप एवं Class IV Chronic Kidney Disease से पीड़ीत है। प्रत्यर्थीगण द्वारा जब झगड़ा किया जाता है तो उसका रक्तचाप (बी.पी.) अप्रत्याशीत रूप से 190/110 तक बढ़ जाता है जो किड़नीज को दुषप्रभावित करता है इन परिस्थितियो में इनके साथ अब आगे रहना प्रार्थी के लिए अपने मकान का वैधानिक गालिक होते हुये 66 वर्ष की वृद्धावस्था में उसी मकान मैं प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 के दुर्व्यवहार जिससे शारिरीक, मानसिक एवं सामाजिक शोषण/प्रताड़न शामिल है का सामना करने को मजबूर होना पड़ रहा है अपना सामान्य जीवन जीने में असमर्थ है जैसा कि अधिनियम के धारा 4(3) में सन्तानों की अपने माता पिता का भरण पोषण करने की आबद्धता का विस्तार माता पिता या पिता या दोनो यथास्थिति की आवश्यकता है जिससे ऐसे माता पिता सामान्य जीवन व्यतीत कर सके। दिनांक 6.09.2018 से प्रत्यर्थीगण अपने परिवार के साथ मेरे आवास के भूतल पर अलग हो कर रह रहे है एवं पिछले 6 वर्षो से आपस में बोलचाल भी नहीं है। प्रत्यर्थीगण घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का दुरपयोग कर मुद्दो से भटकाने व न्यायिक प्रक्रिया को उलझाने का प्रयास कर रहा है। दिनांक 18.11.2023 को उल्टे प्रत्यर्थी संख्या 02 ने अपीलार्थी को धमकाते हुए कहा कि 'यह मेरा मकान है और अब में कभी भी खाली नहीं करूंगी तेरे में हिम्मत हो तो खाली करा ले' व इसी दिन प्रत्यर्थी संख्या 01 ने मुझे धमकी दी कि 'मैं तुम्हे इस घर से निकाल कर रहूँगा।' इस प्रकार प्रत्यर्थीगण बार बार झगड़ाकर हमे परेशान कर अपने स्व अर्जित आय से निर्मित मकान से निकालने पर उतारू है। इस संबंध में प्रार्थी ने न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 107–116 प्रस्तुत किया जो न्यायालय द्वारा कोतवाली चित्तौड़गढ़ में न्यायालय के पत्रांकः न्याय/2022/1270 दिनांक 13.12.2022 को वास्ते आवश्यक कार्यवाही प्रेषित किया जिसमें 16.02.2023 को प्रार्थी व मेरी पत्नी व छोटे पुत्र के बयान लिये गये। अपीलार्थी ने अपने अपील/प्रार्थना पत्र में कोई भी तथ्य असत्य अंकीत नहीं किया है एवं एक प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ़ में भी स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जिसका परिवाद संख्या 27550040123001 74 दिनांक 10.03.2023 हो कर विचाराधीन है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 03 – के अनुसार Act to have over riding effect the provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any enactment other then this Act] or any instrument having effect by virtue of any enactment other than this Act. घरेलू हिसां से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 17, 19

प्रभावी नहीं होती। इसी प्रकार Honorable Supreme court in case of S.R. Batra's case was explained that living as "joint Family "meant living under one roof and having a common Kitchen. प्रत्यर्थीगण भूतल पर रह रहे है व अपीलार्थीगण प्रथमतल पर निवारत होकर दोनो की रसोइयां भी अलग अलग है अतः सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सांझा गृहस्थी की परिभाषा में नहीं आते। The Supreme Court in S.R. Batra's Supra In the Context of Provision of Sec. 17 & 19 of the Protection of women from Domestic violence Act 2005 held that there is no law on matrimonial home inIndia but as per available law right to wife can only be as againsthusband and not against Father in law or other relative including Mother in law. प्रस्तुत न्यायिक विनिश्चय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अन्य उच्च न्यायालयों के है एवं अपील के बिन्दु 8 में वर्णित अनुसार समान प्रकरणो में होने से विधि अनुसार प्रभावी है। अधीनस्थ अधिकरण में भी प्रार्थी ने अधिनियम के तहत बने नियम 2010 के अध्याय 5 में जिला मजिस्ट्रेट के कर्त्तव्य व शक्तियो के संबंध में धारा 20 व 21 का अवलोकन कराते हुए मेरा स्वअर्जित आय से निर्मित आवास 41 ए खाली करवाने हेतु अनुरोध किया जिसका अधीनस्थ अधिकरण ने निर्णय में भी स्पष्ट उल्लेख किया है। '' उपस्थित प्रार्थी संख्या 01 द्वारा रिपीटल बहस में कहा कि वह प्रत्यर्थी से भरण पोषण नहीं चाहकर मकान 41 ए गांधीनगर सेक्टर नंम्बर 02 आकाशवाणी रोड़ चित्तौड़गढ़ खाली करवाना चाहता है, जो नियमों में है। ''किन्तु अधीनस्थ अधिकरण ने अधिनियम को बनाने के विधायिका के मूलभूत प्रयोजन को नहीं समझ अधिनियम का मनमाना एवं एक तरफा संकीर्ण अर्थ लगाते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र महज इस कारण खारीज कर दिया कि प्रार्थीगण माता पिता ने पुत्र, पुत्रवधु से भरण पोषण नहीं मांगे जाने एवं भरण पोषण करने में सक्षम है। जबकि विधायिका ने इस अधिनियम का गठन माता पिता एवं वरिष्ठजन के हितो की रक्षार्थ जिसमें उनकी सम्पति भी सम्मिलित है के लिए किया है। प्रत्यर्थी ने अधिनियम 2007 की धारा 23 की गलत व्याख्या की है। प्रत्यर्थीगण 18 वर्षो (वर्ष 2006) से 41 ए गांधीनगर सेक्टर 02 चित्तौड़गढ़ के भूतल पर विवाह के उपरान्त से निवासरत है वास्तविकता यह है कि अपीलार्थी संख्या 01 राजकीय नौकरी में होने के कारण चित्तौड़गढ़ में रह ही नहीं रहे थे इस कारण अपीलार्थी संख्या 01 ने अपने स्वअर्जित आय से निर्मित मकान का भूतल किराये पर दिया हुआ था जो कि सन् 1997 से 2017 तक विभिन्न राजकीय उपक्रमो यथा नाबार्ड, बैंक ऑफ बड़ौदा, आई.डी.बी.आई. व अन्य के पास किराये पर रहा इस प्रकार खाली नही होने से इसमें प्रार्थीगण/विपक्षीगण के परिवार का कोई भी सदस्य नहीं रहता था तो विपक्षीगण का यह कथन कि वह 2006 से भूतल पर मकान में रह रहे है पूरी तरह स्वतः असत्य सिद्ध हो जाता है जिसके दस्तावेजी साक्ष्य प्रार्थी द्वारा माननीय अधिकरण में प्रस्तुत किये गये है। विपक्षी द्वारा प्रार्थीगण की आय का अनावश्यक एवं निराधार वर्णन किया हैं जो तथ्यों से परे असत्य एवं निराधार है उक्त बिन्दु में मेरी पैंशन, आय व छोटे भाईयों के वेतन को निराधार बढ़ा चढ़ा कर बता कर विपक्षी अपने पुत्र के दायित्वों से मुक्त होना चाहते है जो गलत है वरिष्ठ माता पिता को अपने पुत्र से आर्थिक भरण पोषण के अतिरिक्त उसके स्नेह, आदर एवं सद्भावनाओं की भी आवश्यकता रहती है जिसे देने में वे विफल रहे है व माता पिता व परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारीयों से मुक्त होना चाहते है। अपीलार्थी/प्रार्थीगण ने अपने पक्ष के समर्थन मे अधीनस्थ न्यायालय में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक विनिश्चिय डी बी Appeal Special (Writ) No. 920/2019 with D.B. Civil Misc. Stay

Application to 9809/2019 in S.B. Civil Writ Petition No- 15845/2018 राकेश सोनी वगैराह बनाम श्रीमती प्रमिला सोनी निर्णय दिनांक 18.10.2019 को प्रस्तुत किया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने इस न्यायिक विनिश्चिय में अधीनस्थ अधिकरण द्वारा माता–पिता प्रार्थीगण को पुत्र विपक्षी से मकान का अधिपत्य दिलाने के अधिकरण के आदेश को एकल पीठ द्वारा पुष्ठि के आदेश को सही माना। एकलपीठ ने पुत्र की ओर से प्रस्तुत रिट याचिका को खारिज की। इसके विरुद्ध पुत्र द्वारा D.B. पीठ में अपील प्रस्तुत की जिसक D.B. पीठ ने खारिज किया। अधीनस्थ अधिकरण ने प्रार्थीगण/माता पिता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में चाहे गये अनुतोष ''प्रार्थी के मकान नंबर 41 ए गांधीनगर सेक्टर नंबर 2 आकाशवाणी रोड चित्तौड़गढ़ को खाली कर सिपुर्द करने, प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न अनुसुची वर्णित बिजली बिल की राशि विपक्षी से दिलाने, प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न में वर्णित प्रार्थीगण द्वारा जमा कराई राशि दिलवाये जाने आदि अनुतोष को नहीं दिलाने तथा प्रार्थनापत्र को इस हेतु पोषणीयनहीं मानने मे अधीनस्थ अधिकरण ने विधि संबंधि एवं तथ्यात्मक भूल की है। जबकि उक्त चाहा गया अनुतोष अधिनियम 2007 के तहत पोषणीय है तथा अधीनस्था अधिकरण की अधिकारिता के अध्यधीन है। इस संबंध मे राजस्थान उच्च न्यायालय का यह न्यायिक विनिश्चिय 'श्रीमति रश्मि सक्सेना बनाम सुरेश प्रकार सक्सेना 2017 (3) डब्ल्यूएससी 313, मुम्बई उच्च न्यायालय का न्यायिक विनिश्चिय Dattatraya Shivaji Mane V/s Lilabai Shivaji Mane & Others writ petition No. 010611/2018 Decided on 20-06-2018 देहली उच्च न्यायालय का न्यायिक विनिश्चिय Sunny Paul v/s State of NCT of Delhi and ors. LPA 205/2017 decided on 03-10-2018 स्पष्ट है। इन सभी न्यायिक दृष्टान्तो मे प्रार्थीगण/अपीलार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र में चाहे मकान के अधिपत्य के अनुतोष को पोषणीय माना तथा इस अनुतोष को अधिकरण द्वारा दिलाया जाना अधिकरण का अधिकारिता का माना। उक्त न्यायिक विनिश्चियों में अधिनियम 2007 की धारा 23 की व्याख्या करते इसे विस्तृत रूप से देखा जाने के लिए कहा। धारा 23 में हस्तान्तरण से अर्थ कब्जे को भी माना है Transfer of Property को केवल सम्पत्ति के अन्तरण तक सीमित नही मानते हुए विपक्ष के कब्जे को भी सम्पति मानते हुए कब्जे को अवैध मानते हुए कब्जा दिलाने के आदेश को अधिनियम 2007 की परिधि माना है। अधीनस्थ न्यायालय ने अधिनियम 2007 एवं उसके तहत बने नियम 2010 की भावना को न समझ अधिनियम के तहत भरण पोषण की मांग को ही अधिनियम 2007 के तहत पोषणीय माना। अधिनियम 2007 के लिए अधीनस्थ न्यायालय की विधि के संबंध मे विवेचना कतई उचित नही है। अपीलार्थी के कथन की पुष्टि में न्यायिक दृष्टान्त एआईआर 2013 गुजरात 160 Jayant ram Vallabh das meswania ES Vallabhadad Gorindram Meswania पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का न्याययिक विनिश्चय जस्टीस शांति स्वरूप देवान बनाम यूनियन टेरीटोरी चण्डीगढ लेट पेरेन्ट अपील संख्या 1007/2013 निर्णय दिनांक 26.09.2013 एवं छत्तीसगढ उच्च न्यायालय के न्यायिक विनिश्चय नीरज बघेल बनाम कलेक्टर रायपुर रीट पीटिशन wp 227 No. 109/2021 निर्णय दिनांक 26.01.2023 आदि मे व्यक्त किये। उक्त न्यायिक विनिश्वियों के अलावा माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपीलार्थी/प्रार्थीगण द्वारा वाहे गये अनुतोष को पोषणीय माना तथा अधिकरण की अधिकारिता मे उक्त अनुतोष दिया जाना माना। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी/प्रार्थीगण माता–पिता के प्रार्थनापत्र को पोषणीय नही मान खारिज करने का आदेश देने में त्रुटि है। अधीनस्थ अधिकरण का

निर्णय निरस्त योग्य है तथा प्रार्थीगण/अपीलार्थी द्वारा चाहा अनुतोष स्वीकार किये जाने योग्य है। अपीलार्थी प्रार्थीगण प्रार्थनापत्र मे वाहे गये शेष अनुतोष के साथ प्रार्थनापत्र से वर्णित मकान का आधिपत्य विपक्षी/ प्रत्यर्थीगण से प्राप्ति के अधिकारी है जिसे प्रार्थीगण अपीलार्थी को दिलाया जावे। अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष उक्त न्यायिक विनिश्चिय बहस ने प्रस्तुत करने पर भी न केवल उन पर विचार किया बल्कि उन्हें अपने निर्णय में सम्मिलित न कर अधीनस्थ अधिकरण ने अपना एक तरफा एवं मनमाना मत ही प्रकट किया है जो किसी भी प्रकार से न तो न्याय संगत है न विधि मान्य है, अतः प्रार्थना है अपील स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ अधिकरण (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.08.2023 निरस्त किया जावे तथा प्रार्थीगण/अपीलार्थी का अधीनस्थ अधिकरण में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में वर्णित अनुतोष स्वीकार फरमाते हुए विपक्षी को आदेश फरमावें विपक्षीगण प्रार्थीगण के मकान 41 ए गांधीनगर सेक्टर नंबर 2 आकाशवाणी रोड चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ को खाली कर प्रार्थीगण को सुपुर्द करे। विपक्षी संख्या के लिए प्रार्थी ने अनुसुची में वर्णित अनुसार उसके नाम से बैंको ने बचत खाती व एफडी खुलवा कर काफी राशि जगा कराई है व नगद भी दी है, वह पुनः प्रार्थी को देवें। विपक्षी संख्या 1 के लिए प्रार्थी ने अनुसूची में वर्णित अनुसार बिजली का बिल जो पूरा प्रार्थी संख्या ने जमा कराया है राशि को विपक्षीगण से दिलवाई जावें। विपक्षी संख्या । के नाम चन्देरिया में दो प्लाट प्रार्थी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 1 के नाम क्रय किये है इन्हें दिनांक 29.07.2021 को बेचने पर प्राप्त 6 लाख रूपये विपक्षी संख्या 1 ने ले ली है उका राशि प्रार्थी संख्या 1 को विपक्षी संख्या 1 से पुनः प्राप्त करने का अधिकारी हैं उक्त राशि विपक्षी संख्या 1 से दिलवाई जाये। इसी प्रकार पशुपति विहार सेगवा चितौड़गढ में 1350 वर्गफीट का आवासीय भूखण्ड संख्या 3 मेरी स्वअर्जित आय से शफीक इकबाल (विपक्षी संख्या 1) एवं मझोले पुत्र अनीस मोहम्मद के संयुक्त नाम से क्रय किये हैं उक्त प्लाट प्रार्थी को पुनः दिलाये जाने एवं प्रार्थी के नाम कराये जाने के आदेश प्रदान करावें। प्रार्थी संख्या 2 एवं विपक्षी संख्या 1 के संयुक्त नाम से आईसीआईसीआई बैंक में लॉकर खोल रखा है जिसकी अब प्रार्थी संख्या 2 को आवश्यकता नही हैं। उसे बंद कराना है। जिसके लिए विपक्षी संख्या 1 को आदेशित किया जाये कि लॉकर बंद कराने के लिए इस हेतु आवश्यक फार्म पर हस्ताक्षर करके देवें। इसी ईश्तदुआ के साथ अपीलार्थी द्वारा अपने कथनों को विराम दिया गया।

प्रकरण में उभयपक्षकारान द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। अपीलार्थी द्वारा अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये है जो कि पत्रावली पर उपलब्ध है। High Court of Judicature for Rajasthan Bench At Jaipur D.B. Special Appeal Writ No 920/2019 Rakesh Soni vs Smt. Prem Lata Soni Section 23 Maintenance and welfare of Parents and Senior Citizen Act 2007 Relevant Page 11 & 12, Dattatrey Shivaji Mane vs Lila Bai Shivaji Mane Writ Petetion No. 10611 of 2018 Relevant Para No 32 Page No 17, Shamsher Singh vs District Magistrate Chandigarh Writ Petetion No. 6365 of 2015(O&M) Section 22 of the act and with Rule 23, Smt. Lalita Kanwar vs Sumer Singh Khanchi S.B. Civil Writ Petetion 412/2019 High Court of Juridiction for Rajasthan Bench at Jaipur, High Court of Judicature for Rajasthan Bench at Jaipur D.B. Civil Reference No 3/2020 Om Prakash Saini vs Smt. Manbhar Devi, High Court of Judicature at Madaras WP No. 28190 Of 2022 and WMP 27489 of 2022 Mohammed

Dayan vs District Collector and others. इसके साथ प्रत्यर्थी द्वारा अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये है जो कि पत्रावली पर उपलब्ध है। HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN JODHPUR, S.B. Civil Writ Petition No. 6707/2016, Smt. Nahid Parvej Versus District Magistrate Pali & And Order Dated 23-01-2023 (observing that the Act of 2007 does not envisage an order of eviction even by the District Magistrate, much less the Tribunal, this Court unhesitantly holds that order of ouster of the petitioner oppugned in the instant writ petition is dehors the provisions of the Act of 2007(beyond the scope of Rules of 2010 and also out of the powers of the Tribunal. HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN JODHPUR,S.B. Civil Writ Petition No.1936/2022, Vinod Sharma Versus Smt. Shanti Devi & And Order Dated 23-01-2023, 21-02-2022 (observing that the Act of 2007 does not envisage an order of eviction even by the District Magistrate, much less the Tribunal, this Court unhesitantly holds that order of ouster of the petitioner oppugned in the instant writ petition is dehors the provisions of the Act of 2007 (beyond the scope of Rules of 2010 and also out of the powers of the Tribunal. SUPREME COURT OF INDIA CIVIL APPELLATE JURISDICTION] CIVIL Appeal No. 174 OF 2021, Sudesh Chhikara Versus Ramti Devi & Anr. Order Dated 06-12-2022 (transfer subject to a condition of providing the basic amenities and basic physical needs to the transfero, sub&section(1) of Section 23(18-01-2022, HIGH COURT OF Gujrat, CIVIL APPEAL NO. 11129 of 2021, JAGDEEPBHAI CHANDULAL PATEL VERSUS RESHMA RUCHIN PATEL Order Dated & (Women Right to reside in shared household), SUPREME COURT OF INDIA CIVIL APPELLATE JURISDICTION, CIVIL Appeal No. 2483 OF 2020, SATISH CHANDER AHUJA Versus SNEHA AHUJA Order Dated 15-10-2020 (Women Right to reside in shared household), HIGH COURT OF Kerala, WP(C). No. 9108 of 2014 (K), MAVILA SATHI Versus STATE OF KERALA & Anr. Dated 04-11-2016 (senior citizens. It cannot be allowed to be used as a tool in property disputes. हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्षकारान द्वारा किये गये कथनों का चित्त मन से शांतिपूर्वक चितन–मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन कराया। उभयपक्षकारान द्वारा किये गये कथनों/लिखित बहस का चित्त मन से शांतिपूर्वक चिंतन–मनन किया। उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का सम्मान अध्ययन/परिशीलन किया गया। न्यायिक दृष्टांतों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। हस्तगत अपील के संबंध में निर्णय के बिन्दु पर विचार करने में न्यायालय के समक्ष निर्णय का बिन्दु यह उभर कर आता है कि – ‘‘**अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रे चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.08.2023 विधि अनुसार पारित किया गया है या नहीं, अगर नहीं तो निर्णय क्या होगा?**’’ हमने माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 का अवलोकन किया। अधिनियम 2007 के तहत व्यवस्था की गई है कि :–

4. Maintenance of parents and senior citizens.—

(1) A senior citizen including parent who is unableto maintain himself from his own earning or out of the property owned by him, shall be entitled to make an application under section 5 in case of —
   (i) parent or grand-parent, against one or more of his children not being a minor;
   (ii) a childless senior citizen, against such of his relative referred to in clause (g) of section 2.

(2) The obligation of the children or relative, as the case may be, to maintain a senior citizen extends to the needs of such citizen so that senior citizen may lead a normal life.

(3) The obligation of the children to maintain his or her parent extends to the needs of such parent either father or mother or both, as the case may be, so that such parent may lead a normal life.

(4) Any person being a relative of a senior citizen and having sufficient means shall maintain such senior citizen provided he is in possession of the property of such citizen or he would inherit the property of such senior citizen:

Provided that where more than one relatives are entitled to inherit the property of a senior citizen, the maintenance shall be payable by such relative in the proportion in which they would inherit his property.

6. Jurisdiction and procedure. —

(1) The proceedings under section 5 may be taken against any children or relative in any district—
(a) where he resides or last resided; or
(b) where children or relative resides.

(2) On receipt of the application under section 5, the Tribunal shall issues aprocess for procuring the presence of children or relative against whom the application is filed.

(3) For securing the attendance of children or relative the Tribunal shall have the power of a Judicial Magistrate of first class as provided under the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

(4) All evidence to such proceedings shall be taken in the presence of the children or relative against whom an order for payment of maintenance is proposed to be made, and shall be recorded in the manner prescribed for summons cases:
Provided that if the Tribunal is satisfied that the children or relative against whom an order for payment of maintenance is proposed to be made is willfully avoiding service, or willfully neglecting to attend the Tribunal, the Tribunal may proceed to hear and determine the case ex parte.

(5) Where the children or relative is residing out of India, the summons shall be served by the Tribunal through such authority, as the Central Government may by notification in the official Gazette, specify in this behalf.

(6) The Tribunal before hearing an application under section 5 may, refer the same to a Conciliation Officer and such Conciliation Officer shall submit his findings within one month and if amicable settlement has been arrived at, the Tribunal shall pass an order to that effect.

Explanation — For the purposes of this sub-section “Conciliation Officer” means any person or representative of an organisation referred to in Explanation to sub-section (1) of section 5 or the Maintenance Officers designated by the State Government under sub-section (1) of section 18 or any other person nominated by the Tribunal for this purpose.

16. Appeals.—

(1) Any senior citizen or a parent, as the case may be, aggrieved by an order of a Tribunal may, within sixty days from the date of the order, prefer an appeal to the Appellate Tribunal:

Provided that on appeal, the children or relative who is required to pay any amount in terms of such maintenance order shall continue to pay to such parent the amount so ordered, in the manner directed by the Appellate Tribunal:
Provided further that the Appellate Tribunal may, entertain the appeal after the expiry of the said period of sixty days, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal in time.

(2) On receipt of an appeal, the Appellate Tribunal shall, cause a notice to be served upon the respondent.

(3) The Appellate Tribunal may call for the record of proceedings from the Tribunal against whose order the appeal is preferred.

(4) The Appellate Tribunal may, after examining the appeal and the records called for either allow or reject the appeal.

(5) The Appellate Tribunal shall, adjudicate and decide upon the appeal filed against the order of the Tribunal and the order of the Appellate Tribunal shall be final:
Provided that no appeal shall be rejected unless an opportunity has been given to both the parties of being heard in person or through a dully authorised representative.

(6) The Appellate Tribunal shall make an endeavour to pronounce its order in writing within one

month of the receipt of an appeal.

(7) A copy of every order made under sub-section (5) shall be sent to both the parties free of cost.

17. Right to legal representation.—

Notwithstanding anything contained in any law, no party to a proceeding before a Tribunal or Appellate Tribunal shall be represented by a legal practitioner.

23. Transfer of property to be void in certain circumstances.—

(1) Where any senior citizen who, after the commencement of this Act, hastransferred by way of gift or otherwise, his property, subject to the condition that the transferee shall provide the basic amenities and basic physical needs to the transferor and such transferee refuses or fails to provide such amenities and physical needs, the said transfer of property shall be deemed to have been made by fraud or coercion or under undue influence and shall at the option of the transferor be declared void by the Tribunal.

(2) Where any senior citizen has a right to receive maintenance out of an estate and such estate or part thereof is transferred, the right to receive maintenance may be enforced against the transferee if the transferee has notice of the right, or if the transfer is gratuitous; but not against the transferee for consideration and without notice of right.

(3) If, any senior citizen is incapable of enforcing the rights under sub-sections (1) and (2), action may be taken on his behalf by any of the organisation referred to in Explanation to sub-section (1) of section 5.

अधिनियम 2007 के अध्याय 2 माता–पिता और वरिष्ठो के कल्याण के प्रावधान प्रावधित किये गये है। अधिनियम की धारा 4 में प्राविधित किया गया है कि कोई वरिष्ठ नागरिक जिसके अन्तर्गत माता–पिता है जो स्वयं के अर्जन से या उसके स्वामत्वि संपत्ति में से स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है आवेदन कर सकते है। अधिनियम की धारा 6 अधिनियम की धारा 4 के तहत प्रस्तुत आवेदनों की क्षेत्राधिकारिता एवं प्रक्रिया के संबंध में प्रावधान प्रावधित किये गये है। इसके साथ ही अधिनियम 2007 की धारा 16 में धारा 4 के तहत निस्तारित आवेदनों की अपील के प्रावधान प्रावधित है। अधिनियम की धारा 23 में प्रावधित किया गया है कि कुछ परिस्थितियों में संपत्ति का हस्तांतरण शून्य होना। अधिनियम की धारा 23(01) में प्रावधित किया गया है कि जहां कोई भी वरिष्ठ नागरिक, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद, उपहार के माध्यम से या अन्यथा अपनी संपत्ति हस्तांतरित करता है, इस शर्त के अधीन कि अंतरिती अंतरणकर्ता को बुनियादी सुविधाएं और बुनियादी भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करेगा और ऐसा अंतरिती इनकार करता है या विफल रहता है। ऐसी सुविधाएं और भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करने पर, संपत्ति का उक्त हस्तांतरण धोखाधड़ी या जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव के तहत किया गया माना जाएगा और हस्तांतरणकर्ता के विकल्प पर ट्रिब्यूनल द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाएगा। अधिनियम की धारा 23(02) में प्रावधित किया गया है कि जहां किसी भी वरिष्ठ नागरिक को किसी संपत्ति से भरण–पोषण प्राप्त करने का अधिकार है और ऐसी संपत्ति या उसका कोई हिस्सा हस्तांतरित किया जाता है, तो भरण–पोषण प्राप्त करने का अधिकार अंतरिती के खिलाफ लागू किया जा सकता है यदि अंतरिती के पास अधिकार की सूचना है, या यदि स्थानांतरण निःशुल्क है, लेकिन प्रतिफल के लिए और अधिकार की सूचना के बिना अंतरिती के खिलाफ नहीं। इसके साथ ही धारा 23(03) में प्रावधित किया गया है कि यदि, कोई वरिष्ठ नागरिक उप–धारा (1) और (2) के तहत अधिकारों को लागू करने में असमर्थ है, तो धारा 5 की उप–धारा (1) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट किसी भी संगठन द्वारा उसकी ओर से कार्रवाई की जा सकती है।

हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस

पर अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 6 व 8 में प्रावधित प्रक्रिया के आधार पर जांच कर अधिनियम की धारा 9 के तहत आदेश पारित किया गया है, जिसकी अपील से प्राधिकरण के समक्ष पेश है। अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा अधिनियम 2007 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें अपीलार्थीगण द्वारा भरण पोषण के के संबंध में मुख्य अनुतोष नहीं चाहा जाकर अधिनियम 2007 की धारा 23 के तहत ही मुख्य अनुतोष चाहा गया है। जहां अधिनियम 2007 की धारा 23(3) में प्रावधित किया गया है कि यदि, कोई वरिष्ठ नागरिक उप–धारा (1) और (2) के तहत अधिकारों को लागू करने में असमर्थ है, तो धारा 5 की उप–धारा (1) के तहत अधिकरण इस संबंध में स्वतः संज्ञान ले सकता है, किन्तु अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.08.2023 के अंतिम पैरा में अंकित किया गया कि ''**प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र प्रत्यर्थी से किसी प्रकार का भरण पोषण नहीं चाहे जाने व स्वयं अपना व अपनी पत्नी का भरण पोषण करने में सक्षम होने से माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 व राजस्थान माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण व कल्याण नियम 2010 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः प्रार्थना–पत्र खारीज किया जाता है।**'' अधीनस्थ अधिकरण द्वारा हस्तगत प्रकरण में अधिनियम की धारा 23 के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई विश्लेषण/विवेचन नहीं किया गया है, जबकि अपीलार्थीगण का मुख्य अनुतोष प्रार्थना अधिनियम की धारा 23 के प्रावधानों के तहत ही प्रस्तुत की गई है। इसके साथ ही अधीनस्थ अधिकरण द्वारा राजस्थान सरकार माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण नियम, 2010 के नियम 10 के तहत हस्तगत प्रकरण में कोई कार्यवाही किया जाना प्रतिवेदित नहीं होता है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अधिकरण द्वारा हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के संबंध में अधिनियम 2007 के प्रावधानों के अध्यधीन कार्यवाही नहीं किया जाना प्रतिवेदित होता है। इस प्राधिकरण के समक्ष अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अधिनियम 2007 के प्रावधानों के अध्यधीन कार्यवाही नहीं किया जाना प्रतिवेदित हुआ है जिससे निर्णय के बिन्दु पर विचार किये जाने से न्यायालय के समक्ष यह तथ्य उभर कर आता है कि अधीनस्थ अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.08.2023 विधि अनुसार पारित नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अधिकरण का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है, इसके साथ ही इस प्राधिकरण द्वारा अधिनियम 2007 की धारा 23 के तहत समुचित कार्यवाही किये जाने का पत्रावली पर साक्ष्य उपलब्ध नहीं है ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ अधिकरण को माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण नियम, 2010 के नियम 10 के संबंध में समुचित कार्यवाही कर पत्रावली पर समुचित साक्ष्य दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/विवेचन कर निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित (**Rimand**) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर न्यायालय हाजा में विचाराधीन राजस्व अपील प्रकरण संख्या 029/2023(रा.अ.) अनवानी रफीक मोहम्मद शेख पिता शफी मोहम्मद जाति मुसलमान आयु 66 वर्ष निवासी 41 ए गांधीनगर सेक्टर नंबर 02, आकाशवाणी रोड चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) वगैराह बनाम शफीक इकबाल शेख पिता रफीक मोहम्मद शेख जाति मुसलमान आयु 46 वर्ष निवासी 41 ए गांधीनगर सेक्टर नंबर 02, आकाशवाणी रोड

चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) वगैराह अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 01/2022 निर्णय दिनांक 02.08.2023 को निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित (**Rimand**) किया जाकर निर्देशित किया जाता है, उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत उभयपक्षकारान को समुचित साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिया जाकर सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिया जाकर **Reasoned and Speaking** नव निर्णय पारित किया जावें। इसके साथ ही उभयपक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ अधिकरण समक्ष दिनांक 10.06.2024 को उपस्थित रहे। अधिनियम की धारा 16 की उप धारा 7 के तहत निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि उभयपक्षकारान को तत्काल निःशुल्क उपलब्ध कराई जावें। पत्रावली पर प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा अपीलार्थी संख्या 1 के नाम पर प्रस्तुत चैक संख्या 054607 दिनांक 10.01.2024 तादादी रूपये 48900/– अक्षरे अडतालीस हजार नौ सौ रूपये मात्र एवं चैक संख्या 054608 दिनांक .... तादादी रूपये 48900/– अक्षरे अडतालीस हजार नौ सौ रूपये मात्र प्रत्यर्थी संख्या 01 को रसीदन लौटाये जावे तथा उक्त चैक की छाया प्रति रिकार्ड पर रखी जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **22.05.2024** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़